

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 नवम्बर 2021—कार्तिक 25, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2021

क्र. एफ बी-7(बी)-01-2019-2-पांच (19).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा—

- (एक) मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-9-2018-सात-6, दिनांक 29 सितम्बर 2018 द्वारा सृजित किए गए नये राजस्व जिले निवाड़ी की सीमाओं के संविस्तीर्ण एक नया पंजीयन जिला निवाड़ी बनाती है;
- (दो) कार्यालय पंजीयक, जिला निवाड़ी के नाम से एक कार्यालय स्थापित करती है; और
- (तीन) यह निदेश देती है कि उपर्युक्त खण्ड (एक) तथा (दो) के अधीन गठित किया गया पंजीयन जिला तथा स्थापित किया गया पंजीयन कार्यालय दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से अस्तित्व में आएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2021

क्र. एफ बी-7(बी)-01-2019-2-पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ बी-7(बी)-01-2019-2-पांच (19), दिनांक 16 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 16th November 2021

No. B-7(B)-01-2019-2-V(19).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908), the State Government, hereby—

- (i) forms a new registration district Niwari in congruence with the boundaries of the new revenue district of Niwari created vide notification No. F-1-9-2018-VII-6, dated 29th September 2018 of Revenue Department, Government of Madhya Pradesh;
- (ii) establishes an office at Niwari to be styled as the office of the Registrar, district Niwari; and
- (iii) directs that the formation of the registration district and the establishment of the office of Registrar under clause (i) and (ii) above shall come into existence from 1st December, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.